पीठासीन अधिकारी द्वारा ... किया
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार
दिनांक 22/3/24 को पेश हो।

22/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादीगण की लिखित बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी वाद दिनांकित लम्बित की स्थिति पेश नहीं। अतः वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 के खारिज किया जाता है। पत्रावली अपील कुमार होने तक के लिए होकर दाखिल दफ्तर हो।